and the like, we have been thinking of enlarging the list of commodities sold in the super bazars. It is a continuous exercise. We would like to see that all the shortages are removed and there is a continuous supply maintained.

श्री मु० ग० स्वा० : जैसा कि अभी हाउस में कहा गया है कि सुपर बाजार जनता की बहुत सी जरूरियात को पूरा कर रहा—है मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या मन्त्री महोदय को जानकारी है कि सुपर बाजार में जो फल और सब्जी मिलती है, उसके दामों में और जैनरल मार्केट के दामों में हमेशा आठ आने किलो का फर्क रहता है, यानी सुपर बाजार में आठ आने किलो ज्यादा में मिलती है . . .

Mr. Speaker: Is he arguing or asking a question? He may ask his question.

श्री मु० ग० स्वा० : जनरल मार्केट से उसी क्वालिटी की सब्जी व फल सुपर बाजार में अधिक दाम में मिलते हैं क्या यह मंत्री महोदय की जानकारी में है यदि हां, तो क्या इन सुपर बाजार की कीमतों को कम करने की कोशिश की जायेगी ?

Shri M. S. Gurupadaswamy: I have no information. I will check it up.

श्री मु०ग० स्वा० : अध्यक्ष महोदय, यह मेरी पर्सनल जानकारी में है। मैंने खुद खरीदा है और यह डिफेक्ट पाया है,

Mr. Speaker: He says that he has no information.

Shrimati Lakshmikanthamma: He accepted the compliments. Will he accept this also?

श्री रामावतार शास्त्री : क्या मंत्री महोदय न बतलाया कि दिल्ली सुपर बाजार में चीजें मार्केट की तुलना में सस्ती मिलती है। लेकिन मैं उन्हें बतलाना चाहता हूं कि तरकारियों की कीमत जो आम बजार में है सुपर बाजार में उन की कीमत उस से अधिक है। आम जो मार्केट में डेढ़ रुपया किलो मिलता है, सुपर बाजार में वही आम पौने दो रुपये किलो मिलता है। क्या उन्होंने पता लगाया है कि ऐसी स्थिति है, और अगर ऐसी स्थिति है तो क्या कारण है कि मार्केट के मुकाबले में चीजें वहां महंगी मिल रही हैं, खास तौर से तरकारी और फल ?

Shri M. S. Gurupadaswamy: I have already answered the question I will look into this matter. I have no information at the present moment

गोरक्षा सम्बन्धी समिति

*1203. श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रत्न सिंह अमरचाल :
श्री कंवरलाल गुप्त
श्री बी० चं० शर्मा :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री आत्म दास :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने गोरक्षा के संबंध में एक समिति नियुक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्य कौन कौन हैं तथा उसके निर्देश-पद क्या हैं ;

(ग) समिति के सदस्यों का चयन किस आधार पर किया गया है;

(घ) क्या सदस्यों का चयन करने के पहले विभिन्न राजनैतिक संस्थाओं से भी परामर्श किया गया था; और

(ङ) क्या समिति की सिफारिशों को मानना सरकार के लिए अनिवार्य होगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । [पुस्तकालय में रख दिया गया । [देखिये संख्या LT—1076/67]

(ग) अध्यक्ष महोदय भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हैं । तीन सदस्य गोरक्षा महाभियान महासमिति का प्रतिनिधित्व करते हैं, दो सदस्य उन राज्य सरकारों से हैं जो गोवध बन्द कर चुकी हैं तथा दो सदस्य उन राज्यों से हैं जिन्होंने गोवध बन्द नहीं किया है । बाकी के चार सदस्यों का चुनाव इसलिए किया गया है कि वे समस्या के विभिन्न पहलुओं के विषय में विशेषज्ञ हैं ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) सरकार समिति की सर्वसम्मत सिफारिश को बड़ा महत्व देगी ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या जो गो रक्षा संबंधी समिति की बैठक हुई उस बैठक में जो चर्चा हुई उस के बारे में क्या सरकार को कोई जानकारी है, यदि हां, तो वहां पर क्या चर्चा हुई ? दूसरे जैसा कि प्रश्न का जवाब देते हुए बतलाया गया है कि इस में कुछ सदस्य लिये गये हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि उन के नाम क्या क्या हैं ?

Shri Annasahib Shinde: About the names of the members of the Committee, a statement has already been *laid on the Table of the Lok Sabha.*

Regarding what transpired, what happened, in the meeting of the Committee, we have not received the proceedings of the meeting of the Committee so far.

श्री हुकम चन्द कछवाय : यह समिति कब तक अपनी अंतिम रिपोर्ट देने वाली है और सरकार उस पर कब से अमल करेगी ? कितना समय लगेगा ?

Shri Annasahib Shinde: The hon Member will be kind enough to look into the statement which has been laid on the Table of the House.

श्री कंवरलाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, गोरक्षा महाभियान समिति के अन्दर आप ने इस समस्या को रक्खा है और वह इस बारे में विचार कर रही है और उस के साथ साथ पिछले कई महीनों से गोरक्षा आन्दोलन भी चल रहा है जिसमें करीब 25-30 हजार लोग जेल जा चुके हैं तो मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यह आन्दोलन अब समाप्त हो और दोनों पक्ष ठीक ढंग से कोई रास्ता निकाल सकें उस के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है अथवा क्या कदम उठा रही है ?

खाद्य, तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : जैसा कि सदस्य महोदय को मालूम है इस समस्या के लिए यही निर्णय किया गया था कि एक समिति का गठन कर दिया जाये जो उस के सभी पहलुओं पर

विचार करे। यह हर्ष का विषय है कि गोरक्षा महाभियान समिति ने तीन बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तियों को उस पर प्रतिनिधित्व करने के लिए कहा और वह हैं श्री जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी निरंजनदेव तीर्थ, गोलवलकर महाराज और श्री रमा प्रसाद मुकर्जी। मैंने जो आखिरी बात उन के पास लिखा था वह यह था कि इस समिति के गठन कर देने के बाद क्या सत्याग्रह की आवश्यकता है इस पर महाभियान समिति को विचार करना चाहिए और मैं समझता हूं कि वह समिति इस पर विचार करके इस निष्कर्ष पर पहुंचेगी कि उस समिति का काम एक अच्छे वातावरण में चल सकेगा।

Shri D. C. Sharma: May I know whether Government are going to take evidence from different sections of people and from different strata of society before arriving at a decision or whether the members of the committee will be adequate enough to arrive at any decision they like?

Shri Annasahib Shinde: The committee consists of really very important persons and they are at liberty to examine anybody including my hon. friend Shri D. C. Sharma. I think the committee would do the needful

श्री सूर्य प्रकाश पुरी: बिहार में चारे की कमी की वजह से जानवर बहुत मर रहे हैं यह हंसने की बात नहीं है। बेचारे निरीह जानवर मर रहे हैं तो उस में हंसने की बात नहीं है। उसकी वजह से किसान अपने जो कमजोर जानवर हैं उन को कसाइयों के यहां जाकर बेच रहे हैं। क्या मंत्री महोदय के पास इस प्रकार का कोई ब्योरा है और क्या वह बतला सकते हैं कि ऐसे कितने जानवर उन कसाइयों के पास इस मजबूरी के कारण बेच देने पड़े हैं और उस के लिए वह क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

Shri Annasahib Shinde: That is not covered by the main question.

श्री [illegible] सिंह [illegible]: क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि कल की बैठक में, समिति के सदस्यों में, समिति के टर्म्स ऑफ रैफरेंस के संबंध में जो मतभेद पैदा हो गया था उस के बारे में शासन की क्या प्रतिक्रिया है?

श्री [illegible] राम जैसा मैं ने कहा है उस की हमें कोई जानकारी नहीं है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री: पीछे जब यह चर्चाएं इस सदन में चलीं तो खाद्य मंत्री महोदय ने भी और गृह मंत्री महोदय ने भी इस बात का आश्वासन दिया था कि हम राज्य सरकारों से भी इस सम्बन्ध में परामर्श कर रहे हैं और कुछ राज्य सरकारों की ओर से इस प्रकार के आश्वासन भी आये थे जिन में आंध्र और महाराष्ट्र का विशेष रूप से यहां उल्लेख किया गया तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इस प्रश्न पर क्या उन सभी संबंधित राज्य सरकारों की राय आ गयी है, यदि आ गयी है तो उन में कितनी राज्य सरकारें इस बात से सहमत हैं और जो सहमत नहीं हैं उन को सहमत कराने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

Shri Annasahib Shinde: I shall have to obtain the latest information from the State Governments, but the State Governments are pursuing the matter actively

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री: मंत्री महोदय ने कहा कि इस समिति की अगर सिफारिशें सर्वसम्मत होंगी तो सरकार उन्हें मान लेगी। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसी कमेटियों के विषय में यही परम्परा रही है कि सर्वसम्मत हो तभी वह सिफारिश मानी जाय और साथ ही सरकारी सदस्यों की बाबी

मंत्रिमंडल इस में रहते हुए क्या यह आशा की जा सकती है कि वह स्वतंत्रता पूर्वक अपना मत व्यक्त कर सकेंगे और वह सभी सर्वसम्मत निर्णय लेने में पहुंच सकेंगे ?

श्री जगजीवन राम: मैं नहीं समझता कि सरकारी अफसरों को कोई हम अपनी तरफ से सुझाव देने वाले हैं कि वह इस विषय पर इस प्रकार से निर्णय दें। वे इस विषय पर अपना निर्णय करने में स्वतंत्र हैं। लेकिन सदस्य महोदय को यह समझ लेना चाहिए कि अगर सर्वसम्मत से कोई सिफारिश नहीं आती है तो उस में पहले से ही हमारा यह कह देना कि हम फैसले को स्वीकार कर लेंगे उचित न होगा क्योंकि उस हालत में एक सिफारिश न होकर दो सुझाव व सिफारिशें होंगी। दोनों प्रकार की सिफारिशें आ सकती हैं इस लिए हमारे लिये यह कहना कि हम एक किसी सिफारिश को मान लेंगे ठीक न होगा। बाकी अगर समिति सर्वसम्मत कोई सिफारिश करती है तो उस सर्वसम्मत सिफारिश को अस्वीकार कर देने से पहले सरकार को बहुत बार सोचना पड़ेगा कि उसे वह अस्वीकार करे या नहीं।

श्री अच्युत मेनी : क्या मंत्री महोदय फरमायेंगे कि जब उन्होंने कमेटी नियुक्त कर दी है तो ऐसी सूरत में गोहत्या के खिलाफ आन्दोलन में जो भाई-बहन जेल गये हैं उन सब को बेरहमी और अचानक तौर पर रिहा कर दिया जायेगा और उन के खिलाफ मुकदमे वापस ले लिये जायेंगे ? मंत्री महोदय यह भी फरमायेंगे कि चूंकि गाय के मामले में मुसलमानों का भी बहुत बड़ा सरोकार है तब क्या वह इस कमेटी में, जो सरकार कायम करने जा रही है, किसी मुसलमान को, चाहे वह किसी जमाअत का मेम्बर हो, कांग्रेस का मेम्बर हो, लेकिन कोई सच्चा हिन्दुस्तान का वफादार स्टेट होने का भी उस के अन्दर मौजूद है वह वाली न हो ?

[क्या वजीर साहब फरमायेंगे कि जब उन्होंने कमेटी नियुक्त कर दी है तो ऐसी सूरत में गोहत्या के खिलाफ आन्दोलन में जो भाई-बहन जेल गये हैं उन सब को बेरहमी और अचानक तौर पर रिहा कर दिया जायेगा और उन के खिलाफ मुकदमे वापस ले लिये जायेंगे ? वजीर साहब यह भी फरमायेंगे कि चूंकि गाय के मामले में मुसलमानों का भी बहुत बड़ा सरोकार है तब क्या वह इस कमेटी में, जो सरकार कायम करने जा रही है, किसी मुसलमान को, चाहे वह किसी जमाअत का मेम्बर हो, कांग्रेस का मेम्बर हो, लेकिन कोई सच्चा हिन्दुस्तान का वफादार स्टेट होने का भी उस के अन्दर मौजूद है वह वाली न हो ?]

श्री जगजीवन राम : जैसा मैंने पहले कहा इस समिति के बन जाने के बाद जिससे इस समिति का काम अच्छे वातावरण में चल सके, गोहत्या की आवश्यकता के प्रश्न पर महा-अभियान समिति के स्वयम विचार करना चाहिये और इस पर विचार कर के अगर वह इस निर्णय पर पहुंचती है कि समिति का गठन करने के बाद गोहत्या की आवश्यकता नहीं रहती तो गोहत्या के सम्बन्ध में जो लोग कानून में हैं या जिन पर मुकदमे चल रहे हैं इस प्रसंग में, उन के मामले में सहानुभूति पूर्वक विचार किया जायेगा। दूसरी बात उन्होंने किसी मुसलमान को रखने के बारे में पूछी है। तो मैं बतला देना चाहता हूं कि उस में एक मुसलमान सदस्य है।

श्री अच्युत मेनी : बतलाइये कि कौन से मुसलमान हैं जो मुसलमानों की मजहबी नुमाइन्दगी करते हैं।

[بتائیے کہ کون سے مسلمان ہیں جو مسلمانوں کی مذہبی نمائندگی کرتے ہیں -]

Mr. Speaker: No second question now.

Shri Sheo Narain: On a point of order.

Mr. Speaker: No point of order during question hour.

Shri Shankaranand: Now that the Government have set up a Committee for the protection of cows, what is the main consideration for constituting such a Committee? Is it religious, political, social or economic? If it is religious, are Government going to set up such a Committee for the protection of other animals? If it is economic, will Government constitute Committee for the protection of sheep which is economically a most important animal?

Mr. Speaker: I do not think any answer is needed.

Shri N. Sreekantan Nair: As the State of Kerala is deficit in foodgrains and as a vast majority of the people there eat beef, may I know whether representation is given to that State on the Committee?

Mr. Speaker: Particulars cannot be asked about every State

Shri Shankaranand: My question is not answered.

Mr. Speaker: There is no answer necessary for such a distant question.

बाजार में अनाजों का आना

+

*1204. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद
श्री रामचन्द्र उलका :
श्री चुनेश्वर मीना :
श्री हीरजी भाई :
श्री स० प्रधानी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन महीनों में पर्याप्त मात्रा में अनाज बाजार में आ गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो विद्यमान मूल्यों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) Market arrivals of wheat during the three months ended June 1967 in the selected markets of the country were lower while those of rice and gram were marginally higher as compared to the corresponding period of the last year.

(b) During the same period, prices of these grains have been generally higher than last year.

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात नहीं है कि चूंकि सरकार की कृषि नीति और मूल्य नीति के कारण किसानों में बड़ा असन्तोष है इस लिये बाजारों में अनाज नहीं आ रहा है और यद्यपि इस साल रबी की फसल कई प्रान्तों में अच्छी हुई है लेकिन चूंकि सरकारों की नीतियां ऐसी हैं जिन से किसानों को असन्तोष है इसलिये अनाज बाजारों में नहीं आ रहा है। यदि यह सही है तो इस कठिनाई को दूर करने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : इस में कृषि नीति या मूल्य नीति के प्रति असन्तोष का कोई प्रश्न नहीं है। बात यह है कि सरकार की नीति अभी तक यह रही है कि किसान अपना अनाज देर तक अपने पास रख सकें ऐसी क्षमता उन में पैदा हो, और यह क्षमता पैदा हो गई है। अभी तक बाजार में जो अनाज आया है वह उन किसानों का आया है जिन के पास अधिक क्षमता नहीं है। जिन के पास क्षमता है वह इस इन्तजार में हैं कि दाम और तेज हो जायें बात यह अनाज को बाजार में लायें। यह गलत बात है और अच्छी नीति नहीं है।